

23/1/25

उपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर व्यक्ति किया जाता
है। फभावली फैसला शुमार नं० ६ केकेके की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

४६

